

रजिस्ट्री सं० डी० (जी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 412] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 1979/आश्विन 18, 1901
No. 412] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 1979/ASVINA 18, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 1979

का. जा. 577(अ)/18कक/आई जी आर ए/79.—उद्योग (विकास और
विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक

विकास विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 716(अ) दिनांक 18 दिसम्बर, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में क्रम 5 और 9 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात् :—

“5. श्री के. एम. किशनचंदानी,
उप-महाप्रबन्धक,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता ।

9. निदेशक (वित्त),
भारतीय पटसन निगम,
कलकत्ता ।”

[फा. सं. 3/7/76-सी.यू.सी.]

ब. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 10th October, 1979

S.O. 577(E)/18AA/IDRA/79.—In exercise of the powers conferred by Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 716(E) dated the 18th December, 1978, namely :—

In the said Order for serial numbers 5 and 9, and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

“5. Shri K. M. Kishinchandani,
Deputy General Manager,
Industrial Development Bank of India,
Regional Office, Calcutta.

9. Director (Finance),
Jute Corporation of India Ltd.,
Calcutta.”

[F. No. 3/7/76-Cus]

B. ROY, Joint Secy.